

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पत्रिका

डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश) – 2021

Diploma Entrance Competitive Examination
(Lateral Entry) - 2021

सूचना-विवरणिका
2021

महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि	16.08.2021
ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया समाप्ति की तिथि	30.08.2021
परीक्षा की तिथि	माह सितम्बर, 2021 के द्वितीय सप्ताह में

विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम-तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची

Inquiry No.: 9264473893/9264473891

Board's Official Website :- <http://jceceb.jharkhand.gov.in>

विषय सूची

<u>क्र.सं.</u>	<u>विवरण</u>	<u>पृष्ठ सं.</u>
1.	परिचय	3
2.	संस्थान	3
3.	संस्थानों/शाखाओं/उपलब्ध सीटों की जानकारी	3
4.	प्रवेश हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता	3-4
5.	आवासीय अर्हता	4
6.	शारीरिक योग्यता	4
7.	आयु सीमा	4
8.	निःशुल्क शिक्षा योजना	4
9.	संस्थान में नामांकन हेतु शुल्क	4
10.	आरक्षण	4 - 5
11.	प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्रों के प्रकार	
12.	परीक्षा केन्द्र	5
13.	आवेदन करने का तरीका	5
14.	आवेदन-सह-परीक्षा शुल्क	5 - 6
15.	आवेदन पत्र भरने के लिये आवश्यक निर्देश	6
16.	प्रवेश पत्र	6
17.	मेधा सूची का निर्माण	6
18.	पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्योग	6
19.	प्रथम साक्षात्कार	6
20.	द्वितीय साक्षात्कार	6-7
21.	शाखा एवं/या संस्थान परिवर्तन	7
22.	साक्षात्कार शुल्क	7
23.	अन्य आवश्यक सूचनाएँ	7-8
24.	साक्षात्कार/नामांकन के संबंध में आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएँ	8
	Parallel Branches of 12 th Science (with Mathematics as one of the subject)/Intermediate Vocational Courses/ ITI Trades to Diploma Engineering Course(s)	9
	आवेदन पत्र भरने हेतु चरणबद्ध निर्देश	10-11
	अनुसूची - क: "झारखंड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान	12 - 13
	अनुसूची - ख: झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप	14
	अनुसूची - ग: जाति प्रमाण-पत्र (SC/ST) का प्रारूप	15-16
	अनुसूची - घ : जाति प्रमाण-पत्र (BC- I/ BC- II) का प्रारूप	17-18
	अनुसूची - ड.: Income & Assesment Certificate for Economically Weaker Sections (आय एवं सम्पति प्रमाण पत्र) का प्रारूप -	19

डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्वक प्रवेश) – 2021
Diploma Entrance Competitive Examination (Lateral Entry) – 2021

सूचना – विवरणिका/Information -Bulletin

1. परिचय : झारखंड राज्य स्थित सरकारी, गैर सरकारी एवं पी0पी0पी0 मोड पर संचालित पोलिटेकनिक संस्थानों के डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न शाखाओं के शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के तृतीय सेमेस्टर (द्वितीय वर्ष) में नामांकन, डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्वक प्रवेश) – 2021 के परीक्षाफल से तैयार की गयी मेधा सूची से मेधा-सह-ईच्छा के आधार पर होगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित करायी जायेगी।

2. संस्थान : इसके अन्तर्गत सरकारी, गैर-सरकारी एवं पी0पी0पी0 मोड पर संचालित पोलिटेकनिक संस्थानों के डिप्लोमा अभियंत्रण स्तरीय पाठ्यक्रम के शाखाएँ सम्मिलित हैं।

3. संस्थानों/शाखाओं/उपलब्ध सीटों की जानकारी सभी संबंधित पोलिटेकनिक संस्थानों के डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम अन्तर्गत शाखावार, कोटिवार एवं कोटावार सीटों की उपलब्धता पर्षद के अधिकृत वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के Homepage पर Downloads कॉलम पर देखी जा सकती है। यह शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के आधार पर आधारित है जिसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची के आदेशानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन होने की स्थिति में अद्यतन सीटों की जानकारी साक्षात्कार के समय दी जायेगी।

झारखण्ड सरकार के उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पत्रांक त0शि0प्र0विधि-17/2017-57, दिनांक 18.01.2019 के आलोक में पोलिटेकनिक संस्थानों के कुल स्वीकृत सीटों के 10% सीटों पर नामांकन, पार्श्वक प्रवेश के तहत लिया जायेगा।

4. प्रवेश हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता : आवेदक 12th Science (with Mathematics as one of the Subject) परीक्षा उत्तीर्ण* किया हो।

अथवा

आवेदक निम्नलिखित में से किसी एक व्यावसायिक विषय के साथ इंटरमीडिएट व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा (Intermediate Vocational Course Examination) उत्तीर्ण* किया हो -

Computer Science, Electronics Technology, Radio TV Technician, Automobile Engg. & Technician, Mining Geology, Electrical Domestic Appliances.

अथवा

आवेदक दसवीं (10वीं) कक्षा के साथ-साथ निम्नांकित में से किसी एक व्यवसाय में दो वर्षीय आई0टी0आई0 परीक्षा उत्तीर्ण* किया हो -

Fitter, Turner, Mechanist, Mech. Motor Vehicle, Mechanist Grinder, Mech. Refrigeration & Air Conditioning, Draftsman Mechanical, Production & Manufacturing, Instrument Mechanic, Electrical, Electrician, Wireman, Electroplater, Surveyor, Draftsman Civil, Mech. General Electronics, Mech. Radio & T.V., Mech. Consumer Electronics, Mechanic Industrial Electronics, Electronics Mech., Mech. Computer Hardware, I.T. & E.S.M.

नोट :- (क) * से अभिप्राय है कि जैसे आवेदक जो 12th Science (with Mathematics as one of the Subject) परीक्षा या इंटरमीडिएट व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा या दसवीं (10वीं) कक्षा के साथ-साथ दो वर्षीय आई0टी0आई0 परीक्षा में सम्मिलित हुए हों, तो वे भी ऑनलाईन आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं, परन्तु उन्हें साक्षात्कार की तिथि के पूर्व तक उत्तीर्णता प्राप्त

कर लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे नामांकन के योग्य नहीं समझे जायेंगे।

(ख) शैक्षणिक योग्यता कॉलम में दर्ज व्यवसायों में कोई व्यवसाय यदि दो वर्ष से कम अवधि का हो तो, ऐसे व्यवसायों में उत्तीर्ण होने वाले आवेदक उक्त परीक्षा के तहत नामांकन के योग्य नहीं समझे जायेंगे।

(ग) ऐसे आवेदक जिन्होंने जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम/व्यवसाय में उत्तीर्णता प्राप्त किया है, जिसके समतुल्य या संबंधित डिप्लोमा अभियंत्रण शाखा की सीटें पोलिटेकनिक संस्थानों में उपलब्ध नहीं हैं, तो जैसे अभ्यर्थियों को सीट आवंटित नहीं किया जायेगा।

5. आवासीय अर्हता : प्रवेश परीक्षा में वे ही आवेदक भाग ले सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं तथा झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी या स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राज्यभाषा विभाग ने संकल्प ज्ञापांक 7/आ0नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का. - 3198, दिनांक 18.04.2016 में स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नीति निर्धारित की गई है। सुलभ संकेत हेतु अधिसूचना की प्रति इस सूचना विवरणिका के साथ अनुसूची-क में दी गई है तथा इसे पृष्ठ के अधिकृत वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

अभ्यर्थी को अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (झारखण्ड राज्य के अंचल अधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी-असैनिक या उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। "स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र" का प्रपत्र अनुसूची - 'ख' में देखा जा सकता है।

6. शारीरिक योग्यता : संस्थान में नामांकन के समय अनुशंसित अभ्यर्थियों को निबंधित चिकित्सक के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। अयोग्य होने की स्थिति में, नामांकन नहीं किया जाएगा।

7. आयु सीमा : डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम अन्तर्गत खनन अभियंत्रण शाखा को छोड़कर अन्य शाखाओं में नामांकन हेतु कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है। खनन अभियंत्रण शाखा में नामांकन के लिये 01.07.2020 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होना आवश्यक है।

8. निःशुल्क शिक्षा योजना - अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशेप), नई दिल्ली के प्रावधानानुसार प्रत्येक स्वीकृत संस्थान के प्रत्येक शाखा के कुल सीटों के 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के तहत जैसे अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जायेगी, जिनके पिता/माता/अभिभावक का सभी श्रोतों से वार्षिक आय 8 लाख से कम है। आय प्रमाण-पत्र एक (1) साल के अन्दर का निर्गत होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत सभी सीटें अनारक्षित होंगी, अर्थात् इन सीटों का आरक्षण से कोई संबंध नहीं होगा तथा सीटों का आवंटन मेधा-सह-ईच्छा के आधार पर किया जायेगा।

9. संस्थान में नामांकन हेतु शुल्क : नामांकन शुल्क की राशि के संबंध में जानकारी साक्षात्कार के समय दी जायेगी।

10. आरक्षण :

10.1 जाति आधारित आरक्षण : संस्थानों में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। आरक्षण हेतु प्रत्येक संस्थान को एक यूनिट माना जायेगा।

आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/नामांकन के समय पत्रांक-14/जा0नि0-03-13/2015/ का0 1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में ही सक्षम पदाधिकारी (झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। किसी अन्य अधिकारी द्वारा निर्गत (झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त को छोड़कर) जाति प्रमाण-पत्र पर आरक्षण का दावा विचारणीय नहीं होगा तथा उनके आरक्षण का दावा को रद्द कर दिया जायेगा एवं उन्हें अनारक्षित कोटि की मान्यता दी जायेगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थियों को का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-14/जा0नि0-03-13/2015/ का0 1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में "क्रीमी लेयर" रहित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसका प्रपत्र अधिकृत वेबसाइट के Homepage पर Downloads कॉलम पर देखा जा सकता है। अत्यंत

पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा। झारखण्ड राज्य में निवासरत आदिम जनजाति समुदायों के सदस्यों को आरक्षण की विशेष सुविधा देय है। जाति प्रमाण-पत्र का विहित प्रपत्र अनुसूची-ग एवं अनुसूची-घ में देखा जा सकता है।

नोट : आरक्षण के दावे के संबंध में अपने कोटि के बारे में सतुष्ट हो लें। यदि कोई सशय हो तो अचल/अनुमंडल/उपायुक्त कार्यालय से सम्पर्क कर लें या पर्सनल के अधिकृत वेबसाइट पर भारत (Uploaded) आरक्षित कोटियों में निहित जातियों की विवरणी उपलब्ध है।

10.2 दिव्यांगों हेतु आरक्षण : नि:शक्त व्यक्ति (दिव्यांग-जन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक-49) के तहत झारखण्ड सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में तथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए नि:शक्त जनो को आरक्षण के तहत अनुमान्य है। पोलिटेकनिक संस्थानों में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित हैं जिसकी विवरणी पर्सनल के वेबसाइट पर देखी जा सकती है। दिव्यांग का अभिप्राय होगा जैसे उम्मीदवार जो (क) अंधापन और कम दृष्टि या (ख) बहरापन एवं श्रवण नि:शक्तता या (ग) चलन नि:शक्तता जिसमें सम्मिलित हैं सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, आमलीय आक्रांत से पीड़ित, मांसपेशीय दूर्विकास या (घ) स्वलीनता, बौद्धिक नि:शक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और या (ड.) बहु नि:शक्तता जो (क) से (घ) के बीच में नि:शक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है, के कारण कम से कम 40 प्रतिशत आंशिक असमर्थ हो। दिव्यांगों को साक्षात्कार के समय एक फुल साईज का अपना फोटो तथा चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्गत एवं चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति लाना होगा। दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी। आवेदन पत्र में दिव्यांग के प्रकार को भरें।

11. प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्रों के प्रकार प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार और बहु-विकल्प प्रश्नों के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जायेगी। एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प देने पर उसकी गणना गलत उत्तर के रूप में की जायेगी एवं तदनुसार अंकों की कटौती की जायेगी। प्रश्न पत्र के विषय परीक्षा की अवधि, परीक्षा का स्तर इत्यादि निम्नलिखित हैं।
परीक्षा की अवधि-2 घंटा

प्रश्न-पत्र के विषय	पूर्णांक	परीक्षा का स्तर	परीक्षा की तिथि
गणित	50	10वीं कक्षा	मार्च मिनतम्बर, 2021 के द्वितीय सप्ताह में
विज्ञान	50	10वीं कक्षा	

नोट : झारखण्ड सरकार/झारखण्ड संयुक्त प्रदेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्सनल द्वारा किसी अपरिहार्य परिस्थिति में परीक्षा की तिथि एवं/या मोड एवं/या अन्य किसी में फेर-बदल किया जा सकता है।

डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पारिविक प्रवेश) - 2021 एक चरण में आयोजित की जायेगी।

12. परीक्षा केन्द्र : परीक्षा राँची शहर स्थित विभिन्न ऑनलाईन परीक्षा केन्द्रों में होगी

13. आवेदन करने का तरीका: आवेदक को ऑनलाईन तरीके से आवेदन करना है।

पर्सनल के वेबसाइट पर "Online Application Form Submission for Admission in Diploma (L.E.) in 2021" Link को Click कर दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन करते समय स्कैन किया हुआ हाल का कलर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बायें हाथ के अंगूठे का निशान एवं Qualifying Examination का अंक पत्र तैयार रखें। किसी भी अनिवार्य कण्डिका को खाली नहीं छोड़ें। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट पर्सनल कार्यालय को नहीं भेजना है। उसकी तीन-चार प्रिंट आउट रख लें, जिसकी भविष्य में जरूरत पड सकती है।

14. आवेदन-सह-परीक्षा शुल्क : सामान्य/आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग/पिछड़ी जाति - I/पिछड़ी जाति - II कोटि के आवेदकों

को ₹ 650/- तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि/सभी कोटि के महिला आवेदकों को ₹ 325/- आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा। सभी कोटि के दिव्यांगजनों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा गया है।

ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत आवेदन-सह-परीक्षा शुल्क जमा करने का तरीका :-

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय सारी जानकारीयों समर्पित करने के उपरान्त आवेदन-सह-परीक्षा शुल्क, पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन जमा किया जा सकता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यू.पी.आई. की सुविधा दी जायेगी।

15. आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश : आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के पूर्व सूचना विवरणिका को भली-भाँति पढ़ लें। गलत या अपूर्ण सूचना देने पर आवेदन पत्र को अस्वीकार/रद्द किया जा सकता है। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन बाद में नहीं किया जायेगा। फोटोग्राफ रंगीन होना चाहिए तथा चेहरे के साथ-साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। फोटोग्राफ संपादित (Edited) नहीं होना चाहिए अन्यथा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

16. प्रवेश पत्र : निर्धारित तिथि तक प्राप्त एवं पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे तथा परीक्षा में बैठने हेतु प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन डाउनलोड करने का विकल्प दिया जायेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी का नाम, स्कैन फोटोग्राफ, जन्मतिथि, लिंग, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा केन्द्र, पता, अनुक्रमांक एवं उनका आरक्षण कोटि दर्ज रहेगा। ऑनलाईन प्रवेश पत्र परीक्षा की तिथि के चार (4) दिन पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रवेश-पत्र नहीं मिलने या फोटो/लिंग/कोटि में त्रुटि संशोधन हेतु पर्वद द्वारा परीक्षा से

संबंधित जारी विज्ञापन जरूर देखें तथा इसमें दिये गये निर्देशों का पालन करें।

17. मेधा-सूची का निर्माण : परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्तांकों के आधार पर सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की संयुक्त मेधा-सूची के साथ-साथ कॉर्टेदार मेधा-सूची तैयार की जायेगी तथा सीटों का आवंटन मेधा-सह-इच्छा के आधार पर सम्बन्धित डिप्लोमा पाठ्यक्रम के शाखा में किया जायेगा।

12th Science (with Mathematics as one of the Subject) परीक्षा एव/या इंटरमीडिएट व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा एव/या दसवीं (10वीं) कक्षा के साथ-साथ दो वर्षीय आई0टी0आई0 वाले दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सर्वप्रथम 12th Science (with Mathematics as one of the Subject) वाले, उसके बाद इंटरमीडिएट व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले उम्मीदवार को वरीयता क्रम में उपर रखा जायेगा।

12th Science (with Mathematics as one of the Subject) वाले उम्मीदवारों के समान अंक रहने की स्थिति में पहले जन्म तिथि वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी। इसी प्रक्रिया का अनुसरण इंटरमीडिएट व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले या दसवीं (10वीं) कक्षा के साथ-साथ दो वर्षीय आई0टी0आई0 वाले उम्मीदवारों के साथ की जायेगी।

18. पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्योग : उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन, दुबारा जोड़ आदि का कोई प्रावधान नहीं है और न ही इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार किया जायेगा।

19. प्रथम साक्षात्कार : प्रथम साक्षात्कार के संबंध में अद्यतन जानकारी झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के साथ-साथ पर्वद के वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

20. द्वितीय साक्षात्कार : प्रथम साक्षात्कार के उपरान्त यदि संस्थानों में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो द्वितीय साक्षात्कार, उपर्युक्त की ही भाँति, आयोजित किया जाएगा। इस साक्षात्कार में वैसे अभ्यर्थी भी भाग ले

सकते हैं, जो प्रथम साक्षात्कार के माध्यम से अनुशसित संस्थानों में या तो नामांकन ले चुके हैं या फिर शाखा/संस्थान परिवर्तन करना चाहते हैं। इसकी सूचना झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं पर्षद के वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी।

21. **शाखा एवं/या संस्थान परिवर्तन** : इस तरह के सभी मामलों पर पर्षद की ओर से परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

“नामांकन की प्रक्रिया समाप्त के बाद संस्थान एवं शाखा परिवर्तन संबंधी किसी भी आवेदन पर संबंधित संस्थानों के मुख्य द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा नियंत्रक के निर्णय के प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी।”

22. **साक्षात्कार शुल्क** : इस संबंध में विस्तृत जानकारी साक्षात्कार संबंधी विज्ञापन में दी जायेगी।

23. **अन्य आवश्यक सूचनाएँ** :

23.1 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित 12वीं विज्ञान (गणित एक विषय के साथ)/इन्टरमीडिएट व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/आई0टी0आई0 व्यवसायों के समानान्तर डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम, पर्षद के अधिकृत वेबसाइट के Homepage पर Downloads कॉलम में देखा जा सकता है।

23.2 परीक्षा संबंधी सभी कार्यों का संचालन झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से परीक्षा नियंत्रक करेंगे एवं उनके द्वारा लिया गया सभी निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होंगे।

23.3 परीक्षा एवं साक्षात्कार संबंधी अद्यतन जानकारी हेतु पर्षद के वेबसाइट के सम्पर्क में रहे।

23.4 इस सूचना विवरणिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी विशेष संस्थान के विषय में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान से सीधे पत्राचार/सम्पर्क किया जा सकता है।

23.5 झारखण्ड सरकार/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को इस सूचना-विवरणिका में सन्निहित नियमों/ प्रावधानों/सूचनाओं में किसी

प्रकार का संशोधन/परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों तथा/या पर्षद के वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी।

23.6 अभ्यर्थी को साक्षात्कार/नामांकन के समय प्रतियोगिता परीक्षा का वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अतः प्रवेश पत्र को संभाल कर रखें।

23.7 यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी, पहचान इत्यादि किसी भी समय असत्य पाया गया तो उनकी अभ्यर्थीत्व तुरंत निरस्त कर दी जायेगी और उनके विरुद्ध झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी जिसमें कारावास तक का भी प्रावधान है।

23.8 कानूनी समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में वाद के अंतिम निर्णय होने तक अभ्यर्थी को नामांकन से वंचित रखा जायगा।

23.9 इस प्रतियोगिता परीक्षा के प्रक्रिया/आवेदन/आवंटन या अन्य किसी प्रकार के दावे से संबंधित विवाद केवल माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/राँची व्यवहार न्यायालय क्षेत्राधिकार के अन्दर ही दायर किए जाएंगे और वे ही मान्य होंगे।

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के परीक्षा नियंत्रक ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से पर्षद वाद दायर कर सकेगा अथवा पर्षद के विरुद्ध वाद दायर किये जा सकेंगे।

23.10 साक्षात्कार/नामांकन के समय अभ्यर्थियों को निम्नांकित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ तथा उनकी एक-एक छाया-प्रति जो स्वअभिप्रमाणित हो, साक्षात्कार/नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इनमें से किसी एक भी वांछित मूल प्रमाण-पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवार को संस्थान/शाखा/सीट आवंटन से वंचित कर दिया जायगा। प्रमाण पत्र/दस्तावेज का सिर्फ Xerox Copy या Fax

Copy उपलब्ध कराने पर उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी।

1. माध्यमिक/10वीं/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र (मूल या औपबधिक)।

2. 12th Science (with Mathematics as one of the Subject)/ Intermediate Vocational Course/ ITI Trade की परीक्षा का प्रवेश-पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।

3. झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में जारी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र।

4. झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में)।

5. झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में जारी आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग के लिये आरक्षित सीटों को चयन करने की स्थिति में)।

6. चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्गत एवं चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तथा एक फुल साईज (पूरे शरीर का) फोटोग्राफ (दिव्यांग कोटा का लाभ लेने की स्थिति में)

24. साक्षात्कार/नामांकन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएँ

24.1 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के उपरान्त ही, अपने दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र, संबंधित अंचल/अनुमण्डल/उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त कर लें।

24.2 साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसे नामांकन के समय, संबंधित संस्थान में जमा करना अनिवार्य है।

24.3 अगर कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होते हैं अथवा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत सभी वांछित/निर्धारित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज समय पर प्रस्तुत नहीं करते हैं अथवा अपनी पहचान स्थापित

नहीं करते हैं अथवा डाक्टरी जाँच में अयोग्य पाये जाते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः रद्द समझी जाएगी।

24.4 साक्षात्कार, संबंधित समूहों की संयुक्त मेधा सूची के अनुसार आयोजित की जायेगी। आरक्षित कोटि यथा EWS/SC/ST/BC-I/BC-II के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे अनारक्षित कोटि के लिए उपलब्ध सीटों/संस्थानों के साथ-साथ अपने आरक्षित कोटि के लिए उपलब्ध सीटों/संस्थानों का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

24.5 नामांकन के समय प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों, उनके हस्ताक्षर तथा पहचान की छान-बीन की जायेगी।

जाली प्रमाण-पत्र अथवा गलत पहचान के आधार पर नामांकन का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध भा.द.वि. की योग्य धाराओं के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं साथ ही साथ पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में आगामी तीन वर्षों तक शामिल होने से वंचित कर दिया जाएगा।

24.6 अभ्यर्थी को सीट आवंटन के उपरान्त निर्धारित तिथि तक नामांकन लेना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका आवंटन पत्र स्वतः रद्द समझा जाएगा।

24.7 साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी की मेधा क्रम संख्या पर उपलब्ध रिक्त स्थानों में से अभ्यर्थी को शाखा एवं संस्थान का आवंटन, मेधा-सह-ईच्छा के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अलग से कोई अंक निर्धारित नहीं है। साक्षात्कार हेतु प्रकाशित किए जाने वाले मेधा सूची में अन्तर्निहित अभ्यर्थियों के नामांकन की गारंटी नहीं है।

24.8 नामांकन के समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा Anti Ragging के सम्बन्ध में दिये गये निदेश के आलोक में सभी अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को अपने-अपने आवंटित संस्थानों में निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र का प्रारूप पर्षद के अधिकृत वेबसाइट पर Downloads कॉलम में उपलब्ध है।

परीक्षा नियंत्रक

**Parallel Branches of 12th Science (with Mathematics as one of the subject)/
Intermediate Vocational Courses/I.T.I. Trades to Diploma Engineering Course(s)**

Sl. No.	Branches of Intermediate Vocational Course/I.T.I. Trade/ 12 th Science (with Mathematics as one of the subject)	Their Respective/Parallel Branches of Diploma Engineering Course(s)
1	Fitter/Turner/Mechanist/Mech. Motor Vehicle/Mechanist Grinder/Mech. Refrigeration & Air Conditioning/ Draftsman Mechanical/Automobile Engg. & Technician/ Production & Manufacturing/Instrument Mechanic	Mechanical Engineering/ Automobile Engineering
2	Electrical/Wireman/Electrician/Electroplater/Electrical Domestic Appliances	Electrical Engineering/ E.E.E.
3	Surveyor/Draftsman Civil	Civil Engineering/ Architectural Assistantship
4	Mech. General Electronics/Mech. Radio & T.V./Mech. Consumer Electronics/Mechanic Industrial Electronics/ Electronics Mechanic/Electronics Technology/Radio T.V. Technician	Electronics & Communication Engineering
5	I.T. & E.S.M./Mech. Computer Hardware/Computer Science	Computer Science & Engineering
6	Mining Geology	Mining Engineering/ Drilling Technology
7	12 th Science (with Mathematics as one of the subject)	All the Branches

आवेदन पत्र भरने हेतु चरणबद्ध निर्देश

आवेदन पत्र भरने के पूर्व सूचना-विवरणिका का भली-भाँति अध्ययन कर लें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि आवेदन पत्र भरते समय न हो। आवेदन करते समय स्कैन किया हुआ हाल का कलर फोटोग्राफ (15 KB से 100 KB), हस्ताक्षर (10 KB से 30 KB), बायें हाथ के अंगुठे का निशान (10 KB से 50 KB) एवं Qualifying Examination का अंक पत्र (100 KB से 200 KB) साईज का तैयार रखें।

पर्षद के वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के Homepage पर "Click Here for All Online Application Submission - JCECEB 2021" टैब पर Click करें उसके बाद "Diploma Entrance Competitive Examination (Lateral Entry) – 2021" link पर Click करें। Online आवेदन करने हेतु Online Application Process को चार चरणों में विभक्त किया गया है :-

- Registration.
- Personal & Educational Details.
- Upload Photograph, Signature, L.T.I. and Marks Sheet.
- Application Fee Payment.
- **प्रथम चरण (Registration)** – उपलब्ध आवेदन पत्र में माँगी गयी जानकारियों को भरें। दिये गये निर्देशानुसार पासवर्ड बनायें। पासवर्ड कम से कम 6 Character का बनायें जिसमें कम से कम एक Capital Letter, कम से कम एक Small Letter एवं कम से कम एक Number अवश्य ही होने चाहिए। अपने बनाये गये पासवर्ड को किसी के साथ साझा (Share) न करें अन्यथा पासवर्ड के दुरुपयोग की जवाबदेही आपकी स्वयं की होगी एवं Captcha Code को भरें तथा Save & Continue पर Click करें। आपके द्वारा दर्ज Mobile No. एवं ई-मेल पर Login Id एवं Password प्राप्त होगा।

Login Id एवं Password को भविष्य के लिए सुरक्षित लिखकर रख लें। दुबारा Login करने के लिए Login Id एवं Password की आवश्यकता पड़ेगी।

- **द्वितीय चरण (Personal & Educational Details)** – अपना नाम, Father's Name, Mother's Name, Date of Birth, Gender, Residential Status, Category (यदि General कोटि के अंतर्गत EWS कोटि में भी आते हैं तो EWS में "Yes" करें। अनुसूचित जनजाति कोटि के अन्तर्गत आदिम जनजाति समूह में भी आते हों तो, अनुसूचित जनजाति कोटि के साथ-साथ आदिम जनजाति समूह में से अपना उप-जाति चुनें।), TFW, Persons with Disabilities, Annual Family Income, Muslim Community Quota, Nationality,

Aadhaar No., e-mail Id, Mobile No. और Communication Address पर एवं Disclaimer Clause को पढ़ कर चेक बॉक्स पर क्लिक करें तथा Save & Continue पर Click करें।

Educational Details में Qualifying Examination Details भरना है जिन अपना Branch/Course/Trade and Group Code चुने (सूचना-विद्यार्थिका की सूच संख्या-9 देखें), Pass Status, Year of Passing/Appearing, Institute Name & Address, Board/University Name, Obtained Marks Percentage (जहाँ परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में)।

- तृतीय चरण (Upload Photograph, Signature, L.T.I. and Marks Sheet - JPG Format में स्कैन किया हुआ हाल का रंगीन फोटोग्राफ (15 KB to 100 KB), हस्ताक्षर (10 KB to 30 KB), बायें हाथ के अंगुठे का निशान (10 KB to 50 KB) एवं Qualifying Examination का अंक पत्र (100 KB से 200 KB) Upload करें।

तृतीय चरण पूर्ण होने पर आपके आवेदन पत्र का Preview दिखाई पड़ेगा। अपने भरे गये ब्यौरे को पुनः जाँच लें तथा पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लें। यदि आप Edit करना चाहें तो Edit Application बटन पर Click कर Edit कर लें तथा Save & Continue पर Click करें।

- चतुर्थ चरण (Application Fee Payment) - Payment पर Click करें। Payment पर Click करने के उपरान्त Bank Collect का स्क्रीन आयेगा। स्क्रीन पर दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन-सह-परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

Successfully भुगतान करने के उपरान्त वेबसाईट <http://iceceb.jharkhand.gov.in> पर "Diploma Entrance Competitive Examination (Lateral Entry) - 2021" link पर Click कर "Applicant login" पर Sign In कर अपना आवेदन पत्र Print कर लें तथा Print out निकाल कर सुरक्षित रख लें। प्राप्त आवेदन पत्र (confirmation page) को पर्सद कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इसकी उपयोगिता भविष्य में होगी।

विषय : "झारखंड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान।

स्थानीय व्यक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर दो जनहित याचिकाओं डब्लू0पी0(पी0आई0एल0) 4056/2002 एवं 3912/2002 में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंड पीठ द्वारा सुनवाई के बाद दिनांक 27.11.2002 को निरस्त कर दिया गया और "स्थानीय व्यक्ति" को पुनः परिभाषित करने तथा स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए दिशा निदेश गठित करने के मामले में सरकार से निर्णय लेने की अपेक्षा की गई।

2. राज्य सरकार द्वारा स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा एवं पहचान के मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों से गहन विचार विमर्श के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड का स्थानीय निवासी वैसे भारतीय नागरिक को माना जाएगा जो निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लिखित शर्त पूरी करता हो :-

- (i) झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो एवं स्वयं अथवा पूर्वज के नाम गत सर्वे खतियान में दर्ज हो। भूमिहीन के मामले में उसकी पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी, जो झारखंड में प्रचलित भाषा, संस्कृति एवं परम्परा पर आधारित होगी।
- (ii) किसी व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्ष या अधिक अवधि से निवास करता हो एवं अचल सम्पत्ति अर्जित की हो या ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखंड में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- (iii) झारखंड राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित/मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी या उनकी पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

- (iv) भारत सरकार का महाधिकारी / कर्मचारी जो झारखण्ड राज्य में कार्यरत हो या प्रत्यक्ष राज्य / प्रति / संलग्न हो एवं झारखण्ड राज्य में नियाम करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- (v) झारखण्ड राज्य में किसी संवैधानिक या विधिक (statutory) पद पर नियुक्त व्यक्ति या कर्मचारी पदवी / प्रति / संलग्न हो एवं झारखण्ड राज्य में नियाम करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- (vi) ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म झारखण्ड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपनी शैक्षिक/तैयारी अथवा समकक्ष स्तर तक की पूरी शिक्षा झारखण्ड विद्यालय/संस्थानों से प्राप्त की हो एवं झारखण्ड राज्य में नियाम करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

आदेश

आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार झारखण्ड राज्य / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमदनीय अधिकारी, सभी उपानुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(निधि खर)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का-3158 / टीवी दिनांक 18-11-16
प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय डोरण्डा रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियों कावैक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजें।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का-3158 / टीवी दिनांक 18-11-16
प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यामंत्रियों के प्रधान सचिव, मुख्यामंत्री सचिवालय रांची/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का-3158 / टीवी दिनांक 18-11-16
प्रतिलिपि-महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, दुर्गा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

अनुसूची - 'ख'

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या - 16 / स्थानीयता नीति-14-03/2016 का 4650, दिनांक 02 जून 2016 के आलोक में झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/शुश्री
पिता/पति श्री पता - ग्राम/वाड़/शहर
पो 0 थाना जिला के
स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या - 3198 दिनांक 18.04.2016 की कड़िका - में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :-

दिनांक :-

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

पृष्ठ-3

शासक सरकार को अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिलता हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि _____ पति _____
 पति (विवाहित महिला के मामले में) ग्राम/नगर _____ जिला/प्रमंडल _____
 राज्य/राज्यशासित प्रदेश _____ शासक राज्य में तथा
 अनुसूचित अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अधीन _____
 जाति/उपजाति के संबंध में तथ्य _____ धर्म का माननेवाले हैं।
 2 तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया _____
 शासक राज्य के ग्राम/नगर _____ जिला/प्रमंडल _____
 निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या शासक राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी -

- क. यहाँ प्रयुक्त पद "साधारणतया निवासी" का गरी अर्थ होगा, जो जनजातिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है एवं अगिले स्थान आवेदन के स्व-घोषणा पर आधारित है।
- ख. जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सहायक प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है -
- जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/ सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी
 - अगले अधिकारी
- ग. विहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पंचवीं और छठी अनुसूची द्वारा ग्यारहवाँ संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिये) तथा संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जनजातियों के लिये) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित शासक में विहित और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) के लिये आरक्षण अधिनियम 2001 ।

स्थान
 तिथि

हस्ताक्षर
 पदनाम
 कार्यालय के सील सहित

FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE ISSUED TO PERSONS BELONGING TO A SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that Son/ Daughter of
 (in case of married
 woman) of Village/ Town District/Division* of the
 State/Union Territory belongs to Caste/Sub Caste
 under Scheduled Tribes/Schedule Caste which is approved as Scheduled Tribe/Caste for the State of Jharkhand
 and professes Religion

2. * and/or * his/her * family ordinarily reside (s) in Village/Town*
 District/Division* of the State/Union Territory* of Jharkhand

3. This certificate is valid till further orders or till any change made in SC/ST caste list for Jharkhand
 State

Note

- (a) The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950 and the place is mentioned on the basis of self-declaration by the applicant.
- (b) The authorities competent to issue the caste certificate are indicated below
- (i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub Divisional Magistrate /Executive Magistrate/ Assistant Collector and Assistant Magistrate
- (ii) Circle Officer
- (c) Caste/Sub Casts enumerated in Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act -2001, as amended by the fifth and sixth schedule under section 23 and 24 respectively of Reconstitution of Bihar Act, 2000 the Constitution of (Scheduled Castes) Amendment Order, 1950 and Amendment (Schedule Tribes) Amendment Order, 1950 and Schedule Castes and Schedule Tribes Order (Amendment) Act 2002

Signature.....

Designation

(with seal of office)

Place

Date

अनुरूपी - 'घ'

प्रमाण - 11

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दीक्षाधिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिये अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग को सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले त्नीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का फारम

<p>प्रमाणित किया जाता है कि</p> <p>पिता _____ पति _____ (निवाहित)</p> <p>महिला के मामले में) पाप/नगर _____ जिला/प्रमंडल _____</p> <p>राज्य/समाशासित प्रदेश _____ जाति के सदस्य है जो</p> <p>झारखण्ड विधितमो और पदों के लिये आरक्षण (अनुरूपित जाति, अनुरूपित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़े वर्ग (अनुरूपी-1 और 11) के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा ये धर्म को माननेवाले हैं।</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p>समाधारणतया झारखण्ड राज्य के पाप/नगर _____ तथा/अथवा उनका परिवार _____ जिला/प्रमंडल _____ में निवास करता है/करते हैं।</p>	<p>3 यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय डाफक 36012/22/93-स्था (एस इ टी), दिनांक 08/09/1993 की अनुरूपी के खंड-3 में उल्लिखित तत्प कार्मिक, प्रशासनिक स्तर तथा राजपणा विभाग के शकत्व सं 3482, दिनांक 10/08/2002 द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन त्नीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं है।</p> <p>4 यह प्रमाण पत्र कार्यालय डाफन सं 36012/22/93-स्था (एस इ टी), दिनांक 08/09/1993 के अपमर्जनों के नियमानुसार प्रमाणित आवेदनक तथा उसकी/उसके माता-पिता द्वारा किये गये घोषणा के अन्तर् पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगा। किन्तु त्नीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (फार्म संख्या-15) सलग्न करने पर इस प्रमाण पत्र की वैधता स्वघोषणा पत्र समर्पित करने के वितीय वर्ष के लिए मान्य होगी।</p>
---	---

स्थान
तिथि

हस्ताक्षर
पा:नाम
कार्यालय के सील सहित

FORM OF NON-CREAMY LAYER CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EXTREMELY BACKWARD CLASSES/
BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION TO STATE EDUCATIONAL
INSTITUTIONS UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that Son/ Daughter of
..... Wife of (in case of married woman)
of Village/ Town..... District/Division* of the
State/Union Territory belongs to the Caste which
is recognized as Backward Class under : Backward Class (Annexure-I/II) of Jharkhand Reservation of Vacancies
and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act - 2001 *** and professes
..... Religion.

2.* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town*
..... District/Division* of the State/Union Territory* of Jharkhand.

3. This is also to certify that he/she does not belong to the Persons/Sections (Creamy layer)
mentioned in Column 3 of the Schedule to the OM No 36012/22/93-Esst (SCT) dated 08-09-1993 of Department
of Personnel and Training, Government of India as adopted by the Department of Personnel, Administrative
Reforms and Official languages vide Resolution No-3482 dated 10.06.2002.

4. This certificate is issued on the basis of declaration made by applicant and his/her parents in
terms of rule of exclusion enumerated in OM No 36012/22/93-Esst (SCT) dated 08-09-1993 and is valid for one
year from the date of issue. This certificate will, however, be valid if it is enclosed with current declaration of
being non-creamy layer, for the financial year in which such declaration is made in the form-15 specified for the
purpose

Signature

Designation

(with seal of office)

Place.....

Date.....

अनुसूची - 'ड'

परिशिष्ट - 1

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____ Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is certify that Shri/Smt./Kumari _____ permanent resident of son/daughter/wife of _____ village/Street _____ post Office _____ District _____ in the State/Union Territory Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'family**' is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____.

His/her family does not own or possess any of the following assets***:

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/ EBC-I/BC-II.

Signature with seal of office _____
Name _____
Designation _____

Recent Passport size
attested Photograph
of the applicant

- *Note1: Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.
**Note2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years
***Note3: The property held by a "Family" in different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.